

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

06-01-2023
पटना, दिनांक-

५५

अधिसूचना संख्या-22/नि0सि0(पट0)-03-28/2022/.....मो0 अब्दुल रकीब (आई0डी0-5479), तत0 सहायक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के विरुद्ध बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना का पत्रांक-3696 दिनांक 21.12.2022 में संलग्न विशेष निगरानी इकाई, पटना का पत्रांक-1608 दिनांक 12.12.2022 के माध्यम से सूचित किया गया कि मो रकीब को 50,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ विशेष निगरानी इकाई धावा दल द्वारा दिनांक 18.10.2022 गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली 2005 के नियम-9 में निहित प्रावधानों के तहत मो0 रकीब को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि 18.10.2022 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में मो0 अब्दुल रकीब (आई0डी0-5479), तत0 सहायक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली, 2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(संतोष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

ज्ञापांक- / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रभारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ सी0 डी0 सहित दो प्रतियों में प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की आवश्यक प्रतियाँ जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
अवर सचिव

ज्ञापांक- / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव

ज्ञापांक-

५५

/ पटना, दिनांक- 06-01-2023

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग/सभी उप सचिव, प्रबंधन, जल संसाधन विभाग/सभी अवर सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0) आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, 6, 7, 8, 12 एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मो0 अब्दुल रकीब, सहायक अभियंता, पिता-नुरूल हसन, मकान नं0-D2, रोड नं0-2, इन्द्रापुरी कॉलोनी, राजा बाजार, पटना-14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संतोष कुमार सिन्हा)
06.1.23
अवर सचिव